फर्द अहकाम

2021/150

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

मोहनलाल बनाम अनिल कुमार वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष 100/21 / 20

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/3/21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित। वादी/प्रतिवादी सं० 5 की ओर से पेश प्रा० पत्र 07 R11 एवं प्रा० पत्र 151 CPC स्वीकार किया जाकर वाद वर्तमान खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से नाम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 150/2021
निर्णय दिनांक : 22.09.2021

1. मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री छोटूराम शर्मा
2. मंगल शर्मा पुत्र श्री छोटूराम शर्मा
3. बाबूलाल पुत्र श्री छोटूराम शर्मा

जातिगण हरियाणा ब्राहम्ण निवासीगण मदरामपुरा बाईपास, बोहरों की ढाणी, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र फतेह चन्द
2. अभय कुमार पुत्र फतेह चन्द
3. राजकुमार पुत्र फतेह चन्द
4. श्रीमति सुशीला देवी पत्नी श्री फतेह चन्द
निवासीगण मूसल फार्म, मदरामपुरा बाईपास, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।
5. श्रीमति नीलू धांधिया पत्नी श्री विनय चन्द धांधिया जाति जैन निवासी प्लाट नं एस.बी. 92, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिय उपपंजियक, सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

निर्णय

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी/वादीगण की ओर से एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, रजि. कैंसल एंव स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया कि वादीगणके पिताजी स्व. श्री छोटूराम शर्मा सहित कुल पांच भाई थे, जिनका नाम मोहरू, लादू, सूजा, बिरदी व छोटू थे, जिनमें से तीन भाई सूजा, लादू व बिरदी नाऔलाद ही फौत हो चुके थे तथा मोहरू व छोटू जीवीत बचे थे और इन तीनों की पगडी किशना के पुत्र छोटू जो कि वादीगण के पिताजी है उनके बंधी थी। मोहरू व छोटू के पास उनके पिता स्व0 श्री किसना की पैतृक कृषि भूमि लगभग करीब 58 बीघा जमीन ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में संवत 1987 राज. सवाई जयपुर महाराज के समय से ही प्रथम मिसल [illegible] दर्ज होकर भूप्रबन्धक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया कब्जे के आधार पर दर्ज हो [illegible] चल [illegible] रही थी और किशना ही सर्वप्रथम कब्जा काश्तकार था जिसकी [illegible] संलग्न है।

वादीगण ने वाद पत्र में किशना के सजरा खानदान [illegible] अंकन किया तथा किशना की सम्वत् 1987 में दर्ज उंक्त पैतृक आराजी कृषि भूमि में से कुछ निम्न प्रथम खसरे नं. 381, 382, 383, 384, 385, 386 व 397 थे, जो संवत 1987 से ही किशना के नाम दर्ज चल रहे थे बाद में यही खसरे गलत परिव़र्तित होकर सवंत 2015 में खसरा नं. 413 ,414, 415, 416, 417, 418, 433, 434 में परिवर्तित होकर मोहरू पुत्र किशना व छोटू पुत्र किशना हिस्सा 1/2 ना होकर सेटलमेन्ट में बिना किसी न्यायालय आदेश या बिना किसी सक्षम अधिकारी, तहसीलदार के आदेश के बिना गलत व फर्जी नाम जंगलया पुत्र नृसिंह गलत दर्ज हो गये और वर्तमान में यही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (साँगानेर)

खसरे नं. 534, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 व 558 मैगजात परिवर्तित होकर ही जमाबंदी में चल रहे थे, जिसका मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी संलग्न है, जिसमें अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने राजकीय कर्मचारियों आदि से मिलीभगत करके किशना की जमीन के वर्तमान खसरे जो जमाबन्दी में खसरा नम्बर 538 रकबा 0.01 हैक्टयर खसरा नम्बर 539 रकबा 0.94 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.95 हैक्टयर लगभग 4 बीघा है को षडयन्त्रपूर्वक फर्जी तरीके से अपनी स्वंय की विरासत बताते हुए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने नाम दिनांक 08.05.1992 को नामान्तरकरण खुलवा लिया तत्पश्चात दिनांक 28.11.2012 को उक्त वर्णित खसरा नं. 539 रकबा 0.94 हैक्टयर में से 0.43 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 539 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.44 हैक्टयर का गलत व अवैध तरीके से अलग विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2012 में तैयार करवाकर प्रतिवादी संख्या 5 को बेचान करके दिनांक 23.11.2012 में नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 5 के नाम खुलवा दिया व खसरा नं. 539 में से शेष बची भूमि 0.51 हैक्टयर की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने पास रख ली।

इस प्रकार उक्त कृषि भूमि का वारिस सम्वत 1987 जयपुर महाराज के समय से ही किशना था तथा उसके बाद उसकी विरासत के अनुसार किशना के दोनों पुत्र छोटू व मोहरू थे तथा इन दोनों की मृत्यु के पश्चात छोटू के पुत्र मंगलराम, बाबूलाल व मोहनलाल है, मोहरू के पुत्र जंगलिया ने अपने पिता मोहरू के हिस्से की जमीन का बेचान अपने भाईयों बंशी व हरिनारायण के साथ मिलकर पूर्व में ही कर दिया था, जिसका कथन जंगलिया के पुत्रों रामजीलाल, कैलाश व गोपाल ने इसी जमीन से सम्बंधित अन्य वाद पत्र मोहनलाल बनाम राजेन्द्र वगैरह वाद संख्या 20 में अपना जवाब दावा पेश कर किया है। छोटू का एक पुत्र श्रीनारायण शर्मा किसी अन्य दिगर व्यक्ति के गोद चला गया है, इसके अलावा इसी न्यायालय में पूर्व में चले एक अन्य वाद पत्र उनवान मोहनलाल बनाम राजेन्द्र वगैरह में इन सभी वर्णित खसरों को तनकीयात कायम करते हुए गलत व अवैध माना था तथा वादी के पक्ष में दिनांक 17.05.2018 को निर्णय फैसला सुनाते हुए डिक्री के आदेश फरमाये थे जो संलग्न है।

इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की करतूतों का मालूम होने पर वादी अपनी उक्त पैतृक भूमि का तहसील रिकार्ड कार्यालय से रिकार्ड निकलवाया जिससे वादी को मालूम हुआ कि वादी के हिस्से की भूमि को भू–माफिया से मिलकर वादी को जबरन बेदखल कर उक्त आराजीयात पर कब्जा कर विक्रय करना चाहते है। वादी का अपनी पैतृक सम्पत्ति में विधिक हिस्सा है तथा वादी माननीय न्यायालय से घोषणा कराने का अधिकारी है कि उक्त विक्रय पत्र व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के द्वारा गलत तथ्यों व फर्जी तरीके से खुलाया गया नामान्तरकरण एंव विक्रय पत्रों दिनांक 23.07.2012 को शुन्य मानते हुए वादी को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात का राजस्व रिकार्ड वादी व वादी के अन्य भाई के नाम पृथक पृथक 1/3 हिस्सा घोषित किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। वाद कारण दिनांक 21.05.2018 को वादी द्वारा तहसील कार्यालय से अपनी पैतृक सम्पत्ति बाबत रिकार्ड निकलवाने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा किये गये षडयन्त्र पूर्वक किये गये बेचान एंव प्रतिवादी सं. 5 द्वारा फर्जी विक्रय–पत्रों के आधार पर खुलाये गये नामान्तरकरण की जानकारी होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 24.04.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गयी।

प्रतिवादी संख्या 5की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रारंभिक स्तर पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का दिनांक 24.10.2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा घोषणा [illegible] दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, जबकि [illegible] वादग्रस्त सम्पत्ति कतई वादीगण की पैतृक एंव पुश्तैनी सम्पत्ति [illegible] काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार उक्त अधिनियम के अस्तित्व में आने के समय [illegible] सम्वत् 2015 की जमाबन्दी में उक्त भूमि की खातेदारी जंगलिया पुत्र नरसींघा के नाम से दर्ज रही है अर्थात उक्त वर्णित सम्पत्ति गत खसरा नम्बर 414जिसके हाल खसरा नम्बर 539 रकबा 0.97 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 538 रकबा 0.01 हैक्टयर में से हिस्सा 66/78 भाग की भूमि को जंगलिया पुत्र नरसींघा ने श्री बदरीनारायण पुत्र श्री नन्दराम जाति छीपा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

द्वारा विकय कर दी तथा इसके पश्चात् उक्त गत खसरा नम्बर 414 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण में हिस्सा 66/78 भाग की भूमि को उक्त बद्रीनारायण ने जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र द्वारा फतेहचन्द पुत्र भौंरीलाल मूसल को विकय कर दी तथा जंगलिया ने शेष बची हुई भूमि हिस्सा 12/78 को जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र द्वारा फतेहचन्द पुत्र भौंरीलाल मूसल को विकय कर दी तथा उक्त रजिस्ट्रीयों के आधार पर बेची गयी भूमि का नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 11.06.1986 को फतेहचन्द मूसल के नाम से खुल कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पत्ति खसरा नम्बर 414 सम्पूर्ण के एकमात्र स्वामी एंव काबिज श्री फतेहचन्द मूसल हुए, इस प्रकार उक्त वर्णित समपत्ति सर्वप्रथम जंगलिया पुत्र नरसींघा के स्वामित्व एंव अधिकार स्वअर्जित सम्पत्ति रही है। इसके पश्चात् उक्त श्री फतेह चन्द मूसल का स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके नाम वर्णित भूमि का विरासत नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 08–05–1992 को प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के हक में खोला गया तथा प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार ने हाल खसरा नम्बर 539 रकबा 0.94 हैक्टयर में से रकबा 0.43 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 538 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि को जरिये विकय पत्र दिनांक 23.11.2012 द्वारा मिन प्रतिवादी संख्या पांच को विकय कर दिया तथा अब वर्तमान में उक्त वर्णित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 538 रकबा 0.01 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 539 रकबा 0.43 हैक्टयर कुल रकबा 0.44 हैक्टयर सम्पूर्ण की एकमात्र खातेदार काश्तकार, स्वामी एंव काबिज मिन प्रतिवादी संख्या पांच है, प्रतिवादी संख्या पांच ने अपनी कयशुदा भूमि पर पुख्ता बाउण्डरीवाल का निर्माण कर रखा है। वादीगण द्वारा उक्त वाद तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किया है तथा अपनी पैतृक सम्पत्ति का आधार बना कर किया है, किन्तु वादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय श्री जंगलिया के नाम से वर्णित रही है तथा जंगलिया के परिवार से वादीगण का कोई हक या सम्बन्ध नही है, इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 कतई लागू नही होती है, वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण द्वारा घोषणा, रजि0 कैंसल, इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, जबकि रजिस्ट्री कैसिंल करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री कैसिंल नही की जा सकती है, इस प्रकार रजिस्ट्री कैंसल के बाबत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त नही है, क्षेत्राधिकार के अभाव में वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या दो का स्वर्गवास दिनांक 24.12.2012 को हो चुका है तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत वाद अपने–आप में उपशमन होता है, इस प्रकार वादीगण का वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है।वादीगण द्वारा बद्रीनारायण एंव फतेहचन्द मूसल के हक में निष्पादित हुए पंजीबद्ध विकय पत्रों एंव उनके हक में खुले नामान्तरकरणों को छिपा कर झुठें तथ्यों के आधार पर लगभग 45 वर्ष के पश्चात् उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो मियाद अधिनियम के अनुसार विधि द्वार वर्जित है तथा खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र पर केवल मात्र वादी संख्या एक मोहन लाल के हस्ताक्षर है अन्य वादीगण के वाद पत्र कोई हस्ताक्षर आदि नही है, जो सिविल नियमों के विपरित है तथा विधि द्वारा वर्जित है तथा ऐसी अवस्था में वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र में वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है, वादीगण ने अपने वाद पत्र में दिनांक 21.05.2018 का तथाकथित वादकारण दर्शित किया है तथा वाद उसके लगभग 9 महिने पश्चात् प्रस्तुत किया है तथा वाद कारण का मुख्य आधार फर्जी विकय पत्रों के आधार पर खुलवाये गये नामान्तरकरण की जानकारी बताया है, जबकि विकय पत्रों को निरस्त करने का या उन्हे फर्जी घोषित करने कोई क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त नही है, मिन प्रतिवादी संख्या 5 ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमि कय की है, जिसके आधार पर मिन प्रतिवादी संख्या 5 भूमि का वैधानिक स्वामी है तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर कयशुदा भूमि [illegible] गण को मिन प्रतिवादी संख्या पांच के विरूद्ध श्रीमान् न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत [illegible] कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है तथा वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद प्रथम [illegible] खारिज किये जाने योग्य है।वादीगण को मिन प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है, उक्त वर्णित सम्पत्ति कतई वादीगण की पैतृक एंव पुश्तैनी सम्पत्ति नही है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) के अनुसार वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। वादीगण ने रजिस्ट्री कैसिंल के बाबत कोई न्याय शुल्क अदा नही किया है तथा बिना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उचित न्याय शुल्क की अदायगी के वादीगण का वाद चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 ने एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का दिनांक 21.11.2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा सं. 2 के अनुसार वाद पत्र का मुख्य आधार सेटलमेन्ट विभाग से प्राप्त मिसल हकीयत बंदोबस्त (जमाबन्दी) सं. 1987 को माना है तथा किशना की कृषि भूमि को पैतृक कृषि भूमि बताते हुए अपने आपको उसका वारिस होने से वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी बताया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची में क्रम सं. 1 पर प्रस्तुत संवत् 1987 की सवाई राज जयपुर महाराज के समय की मिसल हकीयत बन्दोबस्त (जमाबन्दी) की प्रमाणित प्रतिलिपि दर्ज किया गया है कि जबकि न्यायालय में प्रमाणित प्रति की छाया प्रति प्रस्तुत की है, के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि खसरा सं. 382 के कॉलम 4 पर ''किसना वल्द डूंगा कौम ब्राहम्ण साकिन देह'' दर्ज है। दिनांक 08.11.2019 को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उसका अवलोकन किया गया तो खसरा संख्या 382 पर ''किसना वल्द डूंगा कौम जाट सकिन देह'' दर्ज है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार किसना वल्द् डूंगा की जाति जाट होने से वादीगण को जो कि अपने आपको हरियाणा ब्राहम्ण जाति का बता कर आये है, का किसना जो कि जाति से जाट है की कृषि भूमि से किसी प्रकार का पैतृक संबंध नही ठहरता है। न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय चाहने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना चाहिये। जबकि वाद हाजा में वादीगण द्वारा प्रस्तुत संवत् 1987 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति में छेडछाड कर छायाप्रति पर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत वाद पोषणीय न होने से खारिज फरमाया जाकर वादीगण के विरूद्ध स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिताका जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादीगण द्वारा अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के वंश मं जंगल्या पुत्र नृसिंग नाम का कोई व्यक्ति है ही नही। वादीगण का सजरा खानदान वाद की मद संख्या 3 में वर्णित है जंहा जंगल्या पुत्र मोहरू लिखा है, शुरू से रिकार्ड में भी जंगल्या पुत्र मोहरू ही दर्ज है। गत खसरा नम्बर 414 की कृषि भूमि जो कि वर्तमान में खसरा नम्बर 538 व 539 में जमाबन्दी में चल रही है वह शुरू से ही जयपुर महाराज के समय से ही सम्वत 1987 से वादीगण के दादा किसना पुत्र डूंगा के नाम प्रथम मिसल हकियत बंदोबस्त (जमाबन्दी) दर्ज होकर चली आ रही है और किसना ही सर्वप्रथम कब्जा काश्तकार था। जिसके प्रथम खसरा नम्बर 382 है। जंगल्या पुत्र नृसिंह का नाम गलत एंव फर्जी दर्ज है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादीगण द्वारा अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र संख्या 44/2019 का मुख्य आधार सेटलमेन्ट विभाग से प्राप्त प्रथम मिसल हकियत बंदोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 1987 को मानने के अलावा वाद पत्र में किशना के ओर भी कई साक्ष्य व सबूत संलग्न है, जो प्रमाणित करते है कि किशना ही सम्वत् 1987 से ही विवादित भूमि राजसवाई जयपुर महाराज के समय से ही सर्वप्रथम रिकार्डेड कब्जा काश्त था और अब वादीगण उसके वारिसान है। वादीगण ने मिसल हकियत बंदोबस्त (जमाबन्दी) की छाया प्रति को ऑथ–कमिशनर से प्रमाणित करवाकर न्यायालय पेश करी है। जो कि विधि पूर्वक न्यायालय में असल व प्रमाणित प्रतिलिपि की तरह ही मानी जाती है और जिला न्यायालय तक भी ऑथ–कमिशनर से प्रमाणित छाया प्रति को असल व प्रमाणित माना जाता है। खसरा नम्बर 382 पर किशना पुत्र डूंगा जाति जाट सेटलमेन्ट विभाग ने कुछ खसरों पर बिना किसी न्यायालय आदेश या बिना किसी सक्षम अधिकारी, [illegible] के आदेश के बिना या किसी आपसी मिलीभगत से ब्राहम्ण की जगह जाट अंकित कर [illegible] जो कि सेटलमेन्ट विभाग की गलती है, क्योंकि किशना पुत्र डूंगा [illegible] और भी खसरो की कृषि भूमि जमाबन्दी में किशना के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग [illegible] बिना किसी न्यायालय आदेश या बिना किसी सक्षम अधिकारी, तहसीलदार के आदेश [illegible] बिना आपसी मिलीभगत से गलत व्यक्ति जंगलिया पुत्र नृसिंग जो वादीगण के परिवार व खानदान में कही भी नही है के नाम गलत दर्ज कर दिया है। वादीगण ने सम्वत 1987 की असल प्रमाणित प्रतिलिपि से कोई छेडछाड नही करी है, बल्कि जमाबन्दी की छाया प्रति को न्यायहित व न्यायालय को सही बात समझाने के उद्देश्य से ऑथ–कमिशनर से प्रमाणित करवाकर पेश करी है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible] (सॉगानेर)

द्वारा प्रस्तुत वाद किसी जात–पात या किसी धर्म विशेष को लेकर पेश नहीं किया गया है बल्कि वादी ने खसरा नम्बर 414 की कृषि भूमि के गलत इन्द्राज के विवाद को लेकर वाद प्रस्तुत किया है। जाति सम्बन्धी इन्द्राज के बाबत रिकार्ड व साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करें।

इस प्रकार वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज किये जाने का कथन किया। प्रार्थना पत्रोंपर बहस सुनी गयी, दौराने बहस वादीगण के अधिवक्ता की ओर प्रकरण में दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्रोंमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि संवत 1987 की सवाई राज जयपुर महाराज के समय की मिसल हकीयत बन्दोबस्त (जमाबन्दी) के अनुसार किशना वल्द डूगा कौम जाट के नाम से अंकित होने का कथन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत सेटलमेन्ट विभाग से जारी प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने का कथन किया। वादग्रस्त सम्पत्ति के वादीगण के पैतृक एवं पुश्तैनी सम्पत्ति नहीं होने का कथन किया। वादीगण ने स्वच्छ हाथों से अपना वाद प्रस्तुत नहीं किया है तथा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वादीगण को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है, वादीगण का वाद खारिज किया जावें। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्रों को खारिज किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट प्रतित होता है कि वाद पत्र की मद संख्या 2 व मद संख्या 3 में वर्णित सजरा के अनुसार वादीगण ने अपने दादा किशना पुत्र डूगा को दर्शित किया है तथा वाद प्रस्तुत किये जाने का मुख्य आधार ही संवत 1987 की सवाई राज जयपुर महाराज के समय की मिसल हकीयत बन्दोबस्त (जमाबन्दी) में किशना पुत्र डूगा के नाम खातेदारी प्रविष्टि को बनाया है तथा वादीगण स्वयं को किशना का सही वारिस बताकर विवादित भूमि को अपने नाम से खातेदारी में दर्ज करवाये जाने की घोषणा का अनुतोष चाहते है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिसल हकीयत बन्दोबस्त (जमाबन्दी)सम्वत 1987 की ओथ–कमिश्नर से प्रमाणित छाया प्रति का अवलोकन ध्यानपूर्वक किया गया तो यह पाया गया कि उक्त दस्तावेज में गत खसरा नम्बर 382 के खातेदार के रूप में "किशना वल्द डूगा कौम ब्राह्मण साकिन देह" का अंकन किया हुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत मिसल हकीयत बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 1987 की सेटलमेन्ट विभाग से जारी प्रमाणित प्रति का अवलोकन ध्यानपूर्वक किया गया तो यह पाया गया कि उक्त दस्तावेज में गत खसरा नम्बर 382 के खातेदार के रूप में "किशना वल्द डूगा कौम जाट साकिन देह" का अंकन किया हुआ है। इस प्रकार एक ही खसरा नम्बर 382 के बाबत जारी मिसल हकीयत बन्दोबस्त में अलग–अलग प्रविष्टी पायी गयी है, चूंकि वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज फोटो प्रति करवा कर ओथ–कमिश्नर से फोटो प्रति को प्रमाणित करवा कर पेश किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा सेटलमेन्ट विभाग से जारी प्रमाणित प्रति पेश की गयी है तथा दोनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट विभाग से जारी प्रमाणित प्रति से छेड़छाड़ कर कूटरचित दस्तावेज का निर्माण करते हुए तथ्यों को छिपाते हुए उक्त वाद पेश किया है। वादी जिस मुख्य दस्तावेज एवं आधार पर अपना वाद हेतुक प्रकट करना चाह रहा है वह प्रथम दृष्टया फर्जी एवं कूटरचित बनाया हुआ प्रतित होता है। इसके अलावा वादीगण द्वारा अपने वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 21.05.2018 को तहसील कार्यालय से अपनी पैतृक सम्पत्ति बाबत रिकार्ड निकलवाने पर जानकारी होने से उत्पन्न होना जाहिर किया है, जबकि स्वयं वादीगण के अपने वाद में किये गये अभिवचनों से [illegible] होता है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत पूर्व में अन्य वाद में तनकीयात कायम किये गये [illegible] वाद का निर्णय दिनांक 17.05.2018 को हो चुका है, इस प्रकार [illegible] मुकदमा लड [illegible] रिकार्ड की जानकारी शुरू से ही रही है तथा वादीगण [illegible] दिनांक 21.05.2018 को [illegible] की नकल चुके है तो फिर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण निकलवाने से जानकारी होने का कथन सही साबित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद में प्रस्तुत फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर एवं वादीगण द्वारा अपने वाद में दर्शित दिनांक 21.05.2018 को कोई वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार वादीगण का वाद सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (क) के तहत कदर होता है।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद कोई वाद कारण उत्पन्न न होने से खारिज किया जाता है। इस अनुरूप निर्णय डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.9.21

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested